

प्रकरण संख्या 36/2024 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. रामरतन पुत्र परमानंद कुमावत निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

—वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र परमानंद कुमावत निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. पवन पुत्र गोवर्धनलाल कुमावत निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. हीरालाल पुत्र गोवर्धनलाल कुमावत निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. रम्भाबाई पत्नी गोवर्धनलाल कुमावत निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
5. सुनिता पुत्री गोवर्धनलाल कुमावत निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- उपस्थित :- 1- श्री शहादत अली - अधिवक्ता वादी
2- श्री योगेन्द्र सोलंकी- अधिवक्ता प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक :-07.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री शहादत अली वादी अधिवक्ता पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 679 की आराजी नंबर 2263 रकबा 1.4700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 2264 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 2265 रकबा 1.5800 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 3.1400 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 31.05.2024 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.08.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1. श्री रामरतन पिता परमानंद कुमावत सा.देह खातेदार


आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)
2263 / 1	0.22
2265 / 1	0.78

कुल कित्ता-2 1.00

2 श्री रामेश्वरलाल पिता परमानंद कुमावत सा.देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)
2236 / 2	0.23
2265 / 2	0.77

कुल कित्ता-2 1.00



सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

3 श्री हीरालाल, पवन, सुनिता पिता गोर्वधन लाल, रम्भाबाई पत्नी गोर्वधनलाल कुमावत सा.देह खातेदार

आराजी न. रकबा (हैक्टयेर)
2263/3 0.99

कुल किता-1 0.99


4. श्री रामरतन, रामेश्वरलाल पिता परमानंद 2/3, हीरालाल, पवन, सुनिता पिता गोर्वधनलाल मु. रम्भा पति श्री गोर्वधनलाल कुमावत 1/3

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
2263/4	0.01	ट्यूबवेल
2263/5	0.01	रास्ता
2263/6	0.01	रास्ता
2264	0.09	आ.चाह
2265/3	0.03	रास्ता

कुल किता-5 0.15

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीजमुबलिक.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरहफीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.10.2024 को जारी की गई।
मुहर


दस्तखत
ओहदा
सहायक कलक्टर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुदयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	..		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील	...		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.	...		खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर.	..	0	फीस कमिश्नर	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	.		बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	.		मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

